4– अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान :–

संयुक्त निदेशक सामान्य उपसंवर्ग (पुरूष) के अधिकारियों का नियन्त्रण/पर्यवेक्षण कार्य जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित हैं, तथा चिकित्सालयों में तैनात संयुक्त निदेशक विशेषज्ञ उपसंवर्ग पुरूष के अधिकारियों का कार्य पर्यवेक्षण आदि का नियन्त्रण जनपद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय द्वारा किया जाता हैं, प्रदेश के उक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के नियंत्रण अधिकारी मण्डलीय अपर निदेशक हैं, उनके द्वारा अपने मण्डल के सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के कार्यक्षेत्रों का परिवेक्षणीय/प्रशासनिक कार्य देखा जाता हैं।

प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सको द्वारा अथक प्रयास करके प्रदेश की जनता को 24 घन्टे चिकित्सा सुविधायें प्रदान किया जाना।

कार्यालय ज्ञाप सं0–निदे0/चि0उ0/सी0–3754 दि0–14.08.07 द्वारा निम्न मानक चिकित्सा अधिकारियों के कार्य हेतु महानिदेशक द्वारा निर्धारित किये गये हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–	20 नये रोगी प्रतिदिन, 500 नये रोगी प्रतिमाह
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–ब्लाक स्तरीय–	30 नये रोगी प्रतिदिन, 750 प्रतिमाह, 30 भर्ती रोगी प्रतिमाह
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–	40 नये रोगी प्रतिदिन, प्रति चिकित्सक–1000 रोगी प्रतिमाह। 3000 नये रोगी प्रतिमाह प्रति सामु0स्वा0 केन्द्र। 100 भर्ती रोगी प्रतिमाह। एक्से–रे –2 प्रतिदिन, 50 प्रतिमाह। ऑपरेशन– 30 प्रतिमाह। पैथालोजिस्ट– 150 प्रतिमाह।
जिला पुरूष चिकित्सालयः–	40नये रोगी प्रति चिकित्सक प्रतिदिन–1000 रोगी प्रति चिकि0 प्रतिमाह 15 रोगी भर्ती प्रतिदिन–300 रोगी प्रतिमाह –100 शैय्याओं पर। एक्स–रे –5 प्रति मशीन प्रतिदिन –120 प्रतिमाह। अल्ट्रासाउण्ड –3 प्रतिदिन प्रति मशीन–75 प्रतिमाह ऑपरेशन –20 मेजर, 40 माईनर ऑपरेशन प्रति शल्यक प्रतिमाह। प्लास्टर–50 प्रति अस्थि रोग विशेषज्ञ प्रतिमाह।
पैथालोजिक्ल जॉचः–	100 सामान्य जॉच, 30 विशिष्ट जॉच प्रतिदिन। 2000 सामान्य जॉच एवं 500 विशिष्ट जॉच प्रतिदिन।
जिला महिला चिकित्सालयः–	20 नये रोगी प्रति चिकित्सक प्रतिदिन, 300 रोगी प्रतिमाह। 10 रोगी भर्ती प्रतिदिन। 200 रोगी प्रतिमाह (50 शैय्याओं पर) 5 प्रसव प्रतिदिन, 120 प्रसव प्रतिमाह (50 शैय्याओं पर) 2 ऑपरेशन प्रतिदिन, 50 ऑपरेशन प्रतिमाह। 2 अल्ट्रासाउण्ड प्रतिदिन, 40 प्रतिमाह।
पैथालोजिक्ल जॉचः–	50 सामान्य जॉच प्रतिदिन। 1000 सामान्य जॉच प्रतिमाह।

<u>क्षय रोग कार्यक्रम के मानक</u> :

- 70 प्रतिशत नये बलगम धनात्मक क्षय रोगियों की खोज (67 प्रतिलाख/प्रतिवर्ष)।
- 85 प्रतिशत नये बलगम धनात्मक क्षय रोगियों को रोग मुक्त।
- 90 प्रतिशत नये बलगम धनात्मक क्षय रोगियों का 3 माह उपचारोपरान्त बलगम ऋणात्मक में परिवर्तन।
- उपचार प्राप्त कर रहे क्षय रोगियों में 5 प्रतिशत से कम का डिफाल्ट।
- उपचार अवधि में 4 प्रतिशत से कम मृत्यु दर।
- कुल वाह्य रोगियों की संख्या का 2–3 प्रतिशत सम्भावित क्षय रोगी (प्रतिलाख/प्रति त्रैमास, 200 रोगियों की बलगम की जांच)
- 90 प्रतिशत से अधिक खोजे गये क्षय रोगियों को एक सप्ताह के अन्दर उपचार पर रखना।
- कार्यक्रम की गुणवत्ता हेतु सभी जनपदों में ई.क्यू.ए. लागू कर दिया गया है।

नेत्ररोग के बारे मे जन जागरूकता लाने हेतु सूचना शिक्षा एवं संचार के अन्तर्गत स्कूल कालेजो मे निबंधक एवं वाद विवाद , वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। अधिक व्यापक्ता वाले स्वास्थ्य केन्द्रो मे विशेष रूप से होर्डिग एवं डिसप्ले बोर्ड के माध्यम से परस्पर प्रचार किया जायेगा।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पुरोनिधानित कार्यक्रम के रूप में प्रदेश में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संचालित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003.2004 से नये रोगियों की खोज एवं नियमित उपचार द्वारा रोग मुक्त किये जाने के लिए लक्ष्य विहीन रणनीति अपनाने के निर्देश दिये थें, जिसके अन्तर्गत जनपद द्वारा स्वयं कुष्ठ रोग की व्यापकता दर के अनुसार नये रोगियों को उपचार में लाया जाता है तथा टी0बी0 रोगी 6 बिलिस्टर पैक एम0डी0टी0 औषधि 6 से 9 माह में तथा एम0बी0 रोगी को बिलिस्टर पैक एम0डी0टी0 औषधि 12 से 18 माह में खिलाकर रोग मुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों के सर्वीलिएंस तथा कुष्ठ रोगी के निकट सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों के स्वस्थ्य सम्पर्क का परीक्षण किया जाता है।

1. जिला एवं अन्य शहरी चिकित्सालयों के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों की माह में कम से कम एक बार समीक्षा बैठक आयोजित करना।
2. जिला एवं अन्य शहरी चिकित्सालयों के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों की माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करना।

प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सको द्वारा अथक प्रयास करके प्रदेश की जनमानस को 24 घन्टे चिकित्सा सुविधायें प्रदान किया जाता है।

प्रदेश में संक्रामक रेाग नियंत्रण कार्ययोजना बनाकर संक्रामक रोगो की रोकथाम की जाती है। इसी प्रकार विभिन्न रोग जैसे ए0ई0एस0,जे0ई0,डेगू सूखा बाढ, की काययोजना बनाकर तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रदेश में स्थापित प्रा0स्वा0 केन्द्रों/सा0स्वा0केन्द्रों की क्रियाशीलता हेतु अथक प्रयास किया जाना।

प्रदेश के चिकित्सालयों के उपलब्ध भवनों की निरन्तर क्रियाशीलता बनाये रखने हेतु सतत प्रयास किये जाते है। जिसके परिणाम स्वरूप चिकित्सालय के भवनों की क्रियाशीलता का औसत लगभग शतप्रतिशत है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों की निरन्तर क्रियाशीलता बनाये रखने हेतु सत्त प्रयास किये जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सालय के उपकरणों की क्रियाशीलता का औसत प्रतिशत 95 एवं इससे अधिक बनाये रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।